बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

—:: अधिसूचना ::—

पटना—15, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008

संख्या—3/एम.—054/08का. 7020 /बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी की सेवा शर्त्तों के निर्धारणार्थ निम्नलिखित नियमावली बनाती है :—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।— (1) यह नियमावली बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार (मुख्य चुनाव पदाधिकारी की सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी ।

(2) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ।— जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियिम, 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008) ;

(ख) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ;

(ग) 'नियमावली' से अभिप्रेत है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008;

(घ) 'मुख्य चुनाव पदाधिकारी' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नाम निर्दिष्ट मुख्य चुनाव पदाधिकारी ;

(ङ) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं पदो के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं ।

3. वेतन एवं भत्ते।— मुख्य चुनाव पदाधिकारी ऐसे वेतन एवं भत्ते का हकदार होगा जो वेतन एवं भत्ते उसकी पंक्ति एवं स्तर के राज्य सरकार के पदाधिकारी को अनुमान्य हो ।

4. (1) सेवानिवृत्त पदाधिकारी के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट होने पर ऐसा मुख्य चुनाव पदाधिकारी, अपनी नियुवित की तारीख से छः माह के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग कर जिस सेवा में वह था उस सेवा पर लागू नियमों के अनुसार अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएँ प्राप्त करने का हकदार होगा जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगी, परन्तु ऐसी दशा में मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में उसके वेतन में से मूल पेंशन की समतुल्य राशि को, जिसमें पेंशन का कोई भाग जो रूपांतरित हुआ हो और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की समतुल्य पेंशन भी शामिल है, घटा दिया जायेगा तथा वह अपनी पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएँ पृथकतः करने का हकदार होगा ।

D:\backup\Dhar. Personal\Sec.3\Vijendra\Election Commision Notification.doc

(2) यदि वह उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में उसकी सेवा की गणना ऐसी नियुक्ति के तुरन्त पहले जिस सेवा में रहा हो उस सेवा पर लागू नियमों के अधीन पेंशन और सेवानिवृत्ति सुविधाओं के लिए की जायेगी । यह प्रावधान कार्यरत पदाधिकारी की मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति के मामले में लागू होगा ।

5. पंक्ति और स्तर।– मुख्य चुनाव पदाधिकारी की श्रेणी और प्रतिष्ठा उसकी पंक्ति एवं स्तर के राज्य सरकार के पदाधिकारी के अनुरुप अनुमान्य होगी ।

6. छुट्टी।– मुख्य चुनाव पदाधिकारी निम्नलिखित रूप से छुट्टी का हकदार होगा :–

(क) राज्य सरकार में अनुमान्य आकस्मिक अवकाश ।

(ख) बिहार सेवा संहिता के अनुसार उपार्जित छुट्टी, अर्द्धवेतन छुट्टी और परिवर्त्तित छुट्टी ।

(ग) बिहार सेवा संहिता के अधीन यथाअनुमान्य असाधारण छुट्टी ।

7. मकान भाड़ा भत्ता।– मुख्य चुनाव पदाधिकारी, सरकार के नियमों के अंतर्गत मकान भाड़ा भत्ता का हकदार होगा ।

8. यात्रा भत्ता।– मुख्य चुनाव पदाधिकारी को ऐसी यात्रा भत्ता अनुमान्य होगी जो यात्रा भत्ता उसकी पंक्ति एवं स्तर के राज्य सरकार के पदाधिकारी को अनुमान्य है ।

9. इस नियमावली में मुख्य चुनाव पदाधिकारी की जिन सेवा–शर्तों के लिए स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है वे वही होगी जो समय–समय पर उसकी पंक्ति एवं स्तर के राज्य सरकार के पदाधिकारी के निमित्त लागू होगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(हस्ताक्षर) 24/X/08
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–3/एम.–054/08का. 7010 /पटना–15, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि इसकी 10 प्रतियाँ, महाधिवक्ता, बिहार, पटना, 10 प्रतियाँ सहकारिता विभाग, 10 प्रतियाँ मानव संसाधन विकास विभाग, 10 प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग तथा 10 प्रतियाँ विधि विभाग तथा 450 (चार सौ पचास) प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करा दें ।

(हस्ताक्षर) 24/X/08
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–3/एम.–054/08का 7020 /पटना–15, दिनांक 17 अक्टूबर, 2008

प्रतिलिपि :–सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 24/X/08

सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008

संख्या–3 / एम.–054 / 08का 7021 / अधिसूचना संख्या 7020 दिनांक 27.10.08 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :–

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

Personnel and Administrative Reforms Department

NOTIFICATION

Patna, Dated 27 Oct., 2008

No. 3/M.-054/08Ka 7020 /In exercise of powers conferred under sub-section (2) of section-4 of the Bihar State Election Authority Act, 2008 (Bihar Act 14, 2008), the State Government makes the following Rules for determination of Service Conditions of the Chief Election Officer of the State Election Authority:-

1. *Short title and Commencement.*- (1) These Rules may be called the Bihar State Election Authority (Service Conditions of the Chief Election Officer) Rules, 2008.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. *Definitions.*- In these Rules, unless the context otherwise requires-

(a) 'Act' means, the Bihar State Election Authority Act, 2008 (Bihar Act 14, 2008);

(b) 'Authority' means Bihar State Election Authority;

(c) 'Rules' means the Bihar State Election Authority Rules, 2008;

(d) 'Chief Election Officer' means the Chief Election Officer nominated under subsection (2) of section 3 of the Act' and

(e) The words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning assigned to them in the Act.

3. *Salaries and Allowances.-* The Chief Election Officer shall be entitled to such pay and allowances as admissible to the officer of the State Government of his rank and status.

4. (1) In the case of nomination of retired officer as Chief Election Officer, such Chief Election Officer shall, at his option to be exercised within a period of six months from the date of his appointment, be entitled to draw his pension and retirement benefits as per the rules applicable to the service to which he belonged with effect from the date of his appointment as Chief Election Officer, provided that, in such an event his pay as Chief Election Officer shall be reduced by an amount equivalent to the basic pension including any portion of the pension which may have been commuted and the pension equivalent to other retirement benefit and he shall be entitled to draw his pension and other retirement benefits separately.

(2) If he does not exercise the option specified in subsection (1), he shall count his service as Chief Election Officer for pension and retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged immediately before such appointment. This provision shall be applicable in the case of appointment of working officer as Chief Election Officer.

5. *Rank and Status.-* The rank and status of the Chief Election Officer shall be admissible according to the office of the State Government of his rank and status.

6. *Leave.-* The Chief Election Officer shall be entitled to leave as follows:-

(a) Casual Leave as admissible in the State Government.

(b) Earned Leave, half pay leave and Commutated leave in accordance with the Bihar Service Code.

(c) Extra ordinary leave under the Bihar Service Code.

7. House Rent Allowance.- The Chief Election Officer shall be entitled to House Rent Allowance as per Government Rules.

8. *Travelling Allowance.-* The Chief Election Office shall be entitled to Traveling Allowance as admissible to the officer of the State Government of his rank and status.

9. The Conditions of service of the Chief Election Officer for which no express provisions has been made in these Rules shall be such as applicable to the officer of the State Government of his rank and status.

By the order of the Governor of Bihar,

24/x/08

(Saryug Prasad)
Deputy Secretary to Government

ज्ञापांक–3/एम.–054/08का.......7021........../पटना–15, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

24/x/08

सरकार के उप सचिव ।